

**शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार**  
**मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए के लिए आवेदन पत्र**

छात्रा की छात्रवृत्ति यूनीक आई.डी.....  
(पूर्ति संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल से की जावेगी)

छात्रा की  
फोटो

1.	विद्यालय का नाम	
2.	छात्रा का नाम	
3.	छात्रा की माता का नाम	
4.	छात्रा के पिता का नाम	
5.	संरक्षक का नाम( माता-पिता के जीवित ना होने की स्थिति में)	
6.	माता-पिता के जीवित ना होने की स्थिति में माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक व क्रमांक	
7.	छात्रा की जन्म तिथि (अंको एवं शब्दों में)	
8.	कक्षा एवं सेक्शन जिसमें अध्ययनरत है	
9.	छात्रा का विद्यालय में प्रवेश दिनांक एवं एस.आर. नम्बर	
10.	गत कक्षा के विद्यालय का नाम व पता( तृतीय किष्प के अलावा उत्तरवर्ति किशतों के लिए)	
11.	अभिभावक/संरक्षक के मोबाइल नम्बर	
12.	जाति वर्ग ( अजा/अजजा/अन्य पिछडा वर्ग/सामान्य/ अल्पसंख्यक/एमबीसी )	
13.	धर्म	
14.	छात्रा का आधार नम्बर/एनरोलमेंट नम्बर	
15.	जन आधार नम्बर/एक्नोलेजमेन्ट नम्बर	
16.	स्थाई पता	

नोट:- वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए सामने के कॉलम में  का निशान अंकित करें।

कंम सं.	योजना के विस्तृत दिषानिर्देशो के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संलग्न कर <input checked="" type="checkbox"/> करें
1.	Pregnancy Child Tracking and Health Service Management System ID (PCTS ID/Card)	
2.	दो संतानो संबंधी स्वघोषणा प्रमाण-पत्र (अभिभावक/संरक्षक)	
3.	जन आधार कार्ड (अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति)	
4.	माता-पिता के जीवित ना होने की स्थिति में माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की संरक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति	

अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर      जांचकर्ता/कक्षा अध्यापक      संस्था प्रधान के हस्ताक्षरमय मोहर

## माता-पिता/संरक्षक द्वारा घोषणा

मैं ..... (माता-पिता/संरक्षक) घोषणा करता/करती हूँ की मैंने योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों की भली भांति अध्ययन कर लिया है। छात्रा के मूल दस्तावेज में जन-आधार कार्ड, सही है। विद्यार्थी का बैंक खाता उसके आधार से सीडेड तथा जन-आधार कार्ड से लिंक है। मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विवरण, संलग्न दस्तावेज, इस घोषणा में अंकित सूचनाएं गलत पाये जाने की स्थिति में यदि मुख्यमंत्री राजश्री योजना कि तृतीय किशत कि राशि प्राप्त नहीं होती है तो इसका समस्त दायित्व मेरा स्वयं का होगा। भविष्य में किसी भी प्रकार की जांच प्रक्रिया में मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं अथवा दस्तावेज गलत पाए जाने की स्थिति में मेरे विरुद्ध पुलिस/वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी तथा मैं प्राप्त छात्रवृत्ति वापिस जमा करवाने का वचन देता/देती हूँ।

दिनांक:           हस्ताक्षर जांचकर्ता/कक्षाध्यापक

माता-पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

## संस्थाप्रधान / राजश्री प्रभारी द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा \_\_\_\_\_ पुत्री  
\_\_\_\_\_ के राजश्री आवेदन की जांच कर ली गई है। आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित संलग्नक लगे हुए हैं। छात्रा द्वारा प्रस्तुत जन-आधार कार्ड, Pregnancy-child Tracking and Health Service Management System ID (PCTS ID/Card) एवं दो संतानों संबंधी स्वघोषणा प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित प्रति) को शालादर्पण पोर्टल पर अपडेट कर लिया गया है। अतः छात्रा को सत्र 2021-22 की मुख्यमंत्री राजश्री योजना कि तृतीय किशत की राशि राजश्री योजना प्रभारी द्वारा स्वीकृत की जाती है।

संस्था प्रधान / राजश्री प्रभारी के हस्ताक्षर

मय मोहर